

(a) and (b). The Rubber Board has reported that owing to excess of production over consumption, small growers had to keep heavy stocks this year. However this is not a regular phenomenon & the Rubber Board has no scheme for the present to provide warehouses.

**India's Share in Asian Development Bank's Projects**

3013. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether India's share has gone up in the Asian Development Bank aided projects and contracts during the last three years;

(b) if so, to what extent; and

(c) what efforts are being made to improve the utilisation of the benefit of the A.D.B.?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): (a) Yes, Sir.

(b) The cumulative figures of procurement from India in ADB-financed projects which stood at \$2.576 million as of 30.6.1972 has reached the figure of \$38.997 million at of 30-6-1975.

(c) Steps have been taken to ensure timely dissemination of information on Bank-financed projects and also to help our exporters to participate effectively in these projects.

**Compensation to Weavers**

3014. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to compensate weavers of handloom dhotis and saris for the loss suffered by them under the new textile policy; and

(b) if so, facts thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) and (b). There is no decision to compensate weavers of handloom dhotis and saris as such. However, a decision has been taken to entrust production of dhotis and saris of the controlled specifications to the handloom sector. These dhotis and saris will be sold at the prices fixed for controlled varieties. Handloom weavers may have to be compensated to the extent necessitated by this arrangement.

**Rise in Price of Cotton due to Export of Cotton**

3015 SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government expects a larger export of cotton this year than in 1975-76;

(b) if so, salient features thereof; and

(c) whether cotton prices have picked up as a result of these export orders?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**उज्जैन में छापे**

3016. श्री तुकाराम जय कडवराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घापात स्थिति की घोषणा के पश्चात् सीमानामुक्त अधिकारियों, प्रायकर अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उज्जैन में दुकानों, कम्पनियों, उद्योगों तथा व्यक्तियों के यहाँ कितने छापे मारे गये; और

(ख) उनसे प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं तथा आपत्तिजनक कागजात का खूँटा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रचारी राज्य प्रवक्ता (श्री प्रबन्ध कुमार मुखर्जी) :  
(क) और (ख). आपातस्थिति की घोषणा के बाद, केवल सीमाशुल्क अधिनियम के ही अन्तर्गत 8 छापे मारे गये। इनमें से सात छापे तो निष्फल रहे और एक छापे में, जो एक दुकान के परिसरों पर मारा गया था, 3.5 किलोग्राम वजन की लौंग पकड़ी गयी थी, जिसका मूल्य 1207 रुपये होता है।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम और सीमाशुल्क अधिनियम, दोनों के अन्तर्गत, उज्जैन स्थित दुकान/कर्म के परिसरों पर मारे गये एक छापे में, विदेशी मूल के 12 स्वर्ण बिस्कुट, 137 सोने की मोहरें, 1655 ग्राम सोने के जेवरात, 1,04,000/- रुपये की भारतीय मुद्रा और 2 लाख 90 हजार रुपये कुल मूल्य का अन्य विविध सामान भी पकड़ा गया था जिसमें चान्दी के जेवरात और हारे भी शामिल थे। आपातस्थिति की घोषणा के बाद, केवल स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के ही अन्तर्गत, सीमाशुल्क अधिकारियों ने चार-छापे मारे जिनमें से दो छापे व्यक्तियों के परिसरों पर मारे गये, एक छापे, दुकान/कर्म के परिसरों पर और एक छापे एक बैंक लाकर पर मारा गया था। उर्युक्त 4 छापों में से एक छापे निष्फल रहा। अन्य छापों के परिणामतः, 1830 रुपये मूल्य का 35 ग्राम वजन का शुद्ध सोना, और 65,245 रुपये मूल्य के 4665 ग्राम वजन के सोने के जेवरात और वस्तुएं पकड़ी गयी थीं।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत उज्जैन में कोई छापे नहीं मारा गया।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद, आय-कर अधिकारियों ने उज्जैन में केवल एक छापे मारा था जिसमें कोई वस्तु नहीं पकड़ी गयी।

आपातस्थिति की घोषणा के बाद, विदेशी मुद्राप्रवर्तन प्राधिकारियों ने उज्जैन में एक छापे मारा। इस छापे के परिणामतः, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत में, भारत से बाहर रहने वाले एक व्यक्ति के प्रादेश द्वारा 1000 रुपये की प्रवायगी की प्राप्ति से सम्बन्धित दस्तावेज पकड़े गये।

मध्य प्रदेश से हथकरवा निर्मित कपड़े का निर्यात

3017. श्री हुकूम खन् कछुवाय : क्या बाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश द्वारा निर्यात किये गये हथकरवा निर्मित कपड़े के प्राकड़े तथा उसकी किस्म क्या है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के हथकरवा निर्मित कपड़े का निर्यात किया गया और क्या इसमें हुंये लाभ का भाग हथकरवा-कपड़ा उत्पादकों को भी दिया गया था, यदि हां, तो उन्हें प्रत्येक वर्ष लाभ का कितना भाग दिया गया; और

(ग) क्या उत्पादकों से विचौलिये कम मूल्य पर कपड़ा खरीदते हैं तथा उससे भारी लाभ कमाते हैं ?

बाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). हथकरवा कपड़े का उत्पादन विदेशीकृत क्षेत्र में है तथा व्यापारी-निर्यातक अपने हथकरवा कपड़े के क्रयदेह सिद्धहस्त बुनारों को देते हैं। ए. ई. ए. सिद्धार्थ :